उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद।

उप–नियम (प्रारूप)

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रयोज्यता–**

(क) इन उपनियमों को उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद का उप–नियम कहा जा सकेगा।

(ख) इन उप–नियमों के प्रावधान उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद के कृत्यों को प्रयोजित होते हैं।

1. **परिभाषायें–**

इन उप–नियमों में, जब तक प्रसंग अन्यथा अपेक्षा नही करती है।

(क) अधिनियम से उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 तात्पर्यित है ;

(ख) 'अपर सी ई ओ' से राज्य सरकार के द्वारा महाकुम्भ मेला के समय नियुक्त किया गया सदस्य/सचिव या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया गया एक कार्यकारी मेलाधिकारी/सचिव तात्पर्यित है ;

(ग) प्राधिकरण से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित किये गये उप–नियम तात्पर्यित हैं जो अधिनियम के सुसंगत हैं और तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उप नियमों का संशोधन के सम्मिलित करती है।

(घ) उप नियमों से अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्थापित किये गये उप नियम तात्पर्यित है जो अधिनियम के सुसंगत है और तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उप नियमों का संधोधन को सम्मिलित करती है।

(ङ) ''सी ई ओ'' से अधिनियम की धारा 2 (ट) के अधीन यथा परिभाषित मेलाधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) दिनों से नोटिस चस्पा किये जाने का दिवस एवं बैठक का दिवस के मध्य कैलेंडर दिवसों की संख्या अभिप्रेत हैं ;

(छ) ''अनुज्ञापिती'' से एक आवेदन तात्पर्यित है जिसे मेला क्षेत्र में कोई वृत्ति या व्यापार संचालन हेतु एक अनुज्ञप्ति आवंटित किया गया है ;

(ज) ''कार्यालय'' से अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथा स्थापित प्राधिकरण कार्यालय तात्पर्यित है;

(झ) ''पदधारकगण'' से अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित व्यक्तिगण तात्पर्यित हैं ;

(ञ) ''मेला'' से माघमेला, कुम्भ मेला एवं महाकुम्भ मेला तात्पर्यित हैं ;

(ट) ''मेला अवधि'' से माघमेला, कुम्भ मेला एवं महाकुम्भ मेला तात्पर्यित हैं ;

(ठ) ''सदस्य'' से एक व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण का सदस्य के रूप में ग्रहण किया गया है ;

(ड) ''राज्य सरकार'' से उत्तर प्रदेश सरकार तात्पर्यित है ;

(ढ) ''गणपूर्ति'' से अधिनियम के अनुसरण में प्राधिकरण के सदस्यगण की आधी संख्या तात्पर्यित है।

अध्याय–2

प्राधिकरण का गठन, प्राधिकरण की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य

3. **प्राधिकरण का गठन–**

प्राधिकरण का गठन अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में होगा।

4. **प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य एवं कर्तव्य –**

(क). विनिश्चय करने की सभी शक्तियां प्राधिकरण में निहित होंगी।

(ख). प्राधिकरण समय–समय पर राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन करेगी।

(ग). अधिनियम की धारा 6 एवं धारा 7 के अधीन यथाउल्लिखित प्राधिकरण की शक्ति एवं कृत्य के बारे में कोई विनिश्चय इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसरण में प्राधिकरण के अनुमोदन के बगैर नहीं लिया जायेगा।

(घ). मेला अधिकारी/सचिव प्राधिकरण की दैनिक संचालनों के प्रभारी होंगे और प्राधिकरण के द्वारा लिये गये विनिश्चयों का दृढ़ संचालन करेंगे। प्राधिकरण के कृत्यों का सहज संचालन हेतु आवश्यक सभी विनिश्चय सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु मेला अधिकारी/ सचिव के द्वारा प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जायेगा।

(ङ). अत्यावश्यकता की दशा में मेला अधिकारी/सचिव/अध्यक्ष को सूचना के साथ विनिश्चय करने की शक्ति होगी। तथापि, ऐसा कोई विनिश्चय उपनियमों का खण्ड 8 के अधीन एक विशेष बैठक बुलाते हुये ऐसे विनिश्चय की तिथि से 30 दिनों की एक अवधि के भीतर प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जायेगा।

(च). समस्त वित्तीय शक्तियां प्राधिकरण के साथ होंगी और इसके लिये यह ऐसी रीति में निवेश करेगी जैसी यह प्राधिकरण के सर्वोत्तम हितों में और सम्यक् समझती है।

(छ). प्राधिकरण अधिनियम में यथाउल्लिखित कृत्यों के निर्वहन हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक और निजी संघटनों या वैयक्तिकगण के साथ करारों एवं व्यवस्थाओं में प्रविष्ट होने की शक्ति रखती है।

अध्याय–3

प्राधिकरण की बैठकें, मतदान एवं गणपूर्ति

5. **प्राधिकरण की बैठकें–**

(क). प्राधिकरण के सदस्यगण प्रत्येक 3 माहों में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

(ख). प्राधिकरण की बैठकें साधारणतया प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा यथा अभिनिश्चित इलाहाबाद स्थित इसके कार्यालय पर आहूत किये जायेंगे।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि अत्यावश्यकता की दशा में या तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मेला अधिकारी/प्राधिकरण के सचिव की पहल पर प्राधिकरण के सभी सदस्यगण को सम्यक् नोटिस किये जाने के पश्चात् किसी अन्य स्थान पर आहूत की जा सकेगी।

(ग). सदस्यगण की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी और उनकी अनुपस्थिति में बैठक मूल बैठक के समय से 48 घंटों से अन्यून एक समय के लिये स्थगित कर दी जायेगी।

6. **गणपूर्ति–**

(क). अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसरण में प्राधिकरण के सदस्यगण की 50 प्रतिशत संख्या की व्यक्तिगत उपस्थिति एक गणपूर्ति का गठन करेगी।

(ख). बैठक में कोई कार्य व्यापार की संक्रिया नहीं की जायेगी जब तक उस समय जब बैठक का कार्यव्यापार आरम्भ किया जाना है, वहां एक गणपूर्ति नहीं है।

(ग). यदि बैठक के लिये नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, तो बैठक स्थगित हो जायेगी, उक्त बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर आयोजित की जायेगी जैसा अध्यक्ष उचित समझते हैं, और तदुपरि सचिव/मेला अधिकारी अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन प्राधिकरण के सभी सदस्यों को नोटिस देंगे।

7. **स्थगित बैठक –**

(क). यदि प्राधिकरण की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकती है तो सदस्यगण जो उपस्थित हैं, मूल बैठक बुलाये जाने के समय से 48 (अड़तालिस) घंटे से अन्यून एक समय के लिये बैठक स्थगित कर सकते हैं।

(ख). किसी स्थगित बैठक में स्थगित बैठक की कार्यवृत्त पर कार्य–व्यापार से अन्यथा कोई कार्य व्यापार की संक्रिया नहीं की जायेगी।

(ग). यदि ऐसे स्थगित बैठक पर, कोई गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, तो दो से कम नहीं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्यगण गणपूर्ति पूर्ण करेंगे।

8. **विशेष बैठकें –**

अत्यावश्यक महत्व के मामलों के साथ व्यवहार करने हेतु 3 (तीन पदधारकों) द्वारा लिखित में एक मांग किये जाने पर या मुख्य कार्यपालन/ अधिकारी/मेला अधिकारी/सचिव के निवेदन पर एक विशेष बैठक संयोजित किया जायेगा।

9. **मतदान –**

(क). प्रत्येक सदस्य एक मत रखेगा।
(ख). मतदान व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा।
(ग). मतों की समान्यता की दशा में अध्यक्ष 2 (दो) मत डाल सकते हैं।

10. **बैठकों, स्थगित बैठक, विशेष बैठक की नोटिस–**

बैठकों

सचिव/मेला अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक बैठक की नोटिस, उसका उद्देश्य और इसी प्रकार बैठक का समय एवं स्थान का वर्णन करते हुये प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक से कम से कम 7 (सात) दिनों पूर्व किन्तु ऐसी बैठकों से 2 दिनों के पश्चात् नहीं नोटिस प्रेषित करें ;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसी नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक और एक इलेक्ट्रानिक मेल (ई–मेल) के माध्यम से भेजी जा सकेगी और प्राधिकरण के कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।

स्थगित बैठक–

सचिव/मेला अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि बैठक का समय एवं स्थान वर्णित करते हुये ऐसी बैठक की नोटिस व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सदस्य को प्रेषित करें।

विशेष बैठक–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मेला अधिकारी/सचिव का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पदधारी को 3 (तीन) दिनों की नोटिस दे और ऐसी बैठक की नोटिस प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी।

11. **नोटिस का अधियजन–**

बोर्ड की किसी बैठक के पूर्व कोई पदधारी लिखित में ऐसी बैठक की नोटिस का अधित्याग कर सकता है और ऐसे अधियजन को प्राधिकरण को प्रेषित कर सकता है और ऐसा अधियजन ऐसी नोटिस का त्याग करने के समतुल्य माना जायेगा।

12. **कार्यव्यापार का क्रम–**

प्राधिकरण अपनी पहली बैठक में एक लेखा परीक्षक की नियुक्ती करेगी। जो प्राधिकरण के लेख की लेखा परीक्षक करेगा।

सभी बैठकों में कार्य व्यापार का क्रय निम्नवत् होगा –

(क) बैठक में उपस्थित सदस्यगण की उपस्थिति।

(ख) बैठक की नोटिस का प्रमाण या किसी पदधारी के द्वारा दिया गया नोटिस का अधियजन।

(ग) पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा जाना।

(घ) प्राधिकरण की दैनिक कृत्यों के बारे में अधिकारीगण से रिपोर्ट।

(ङ) समिति, यदि कोई है, से रिपोर्ट।

(च) अपूर्ण कार्य व्यापार, यदि कोई है।

(झ) नवीन कार्य व्यापार।

(ज) रिक्तियां/हटाया जाना, यदि कोई।

13. **रिक्तियां–**

किसी कारण से कारित हुई प्राधिकरण में रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति का एक आकस्मिक रिक्ति होना माना जायेगा और यह रिक्त बनी रहेगी जब तक विधि की सम्यक् प्रक्रिया के द्वारा एक उत्तराधिकारी प्राधिकरण में अपना नहीं लिया जाता है।

14. **पदधारीगण का हटाया जाना–**

प्राधिकरण का एक सदस्य का सम्बन्धित विभाग या संघठन में अपनी प्रतिनिधिक स्थिति का त्याग कर देने की दशा में ऐसे सदस्य की सदस्यता तब तक विद्यमान रहना समाप्त हो जायेगा जब तक सम्बन्धित विभाग या संघठन के द्वारा एक नवीन प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है।

अध्याय–4

प्राधिकरण की शक्तियां

15. **मेला क्षेत्र का प्रक्षेत्रों में विभाजन**

प्राधिकरण मेला क्षेत्र को किसी वृत्ति, व्यापार या समागम के संचालन हेतु पृथक क्षेत्रों में विभाजित करने और वर्गीकृत करने के लिये शक्ति सम्पन्न होगी। प्राधिकरण क्षेत्रों में आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुसार स्थान का पृथककरण हेतु स्वतंत्र होगी।

16. **कार्य स्थलों का आवंटन –**

(क) मेला अधिकारी/सचिव धर्म विरूद्ध नहीं किसी प्रयोजनार्थ जिससे मेला सम्बन्धित है, किसी व्यक्ति या व्यक्तिगण के वर्ग के लिये स्थलों का आवंटन कर सकते हैं और जैसा उनको युक्तियुक्त प्रतीत हो, उसे स्थल हेतु किराया अभिनिश्चित कर सकते हैं।

(ख) उपरोक्त खण्ड 16 (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता को प्रतिकूलता कारिक किये बगैर मेला अधिकारी/सचिव विशेषतया निम्नलिखित के लिये स्थलों का आवंटन कर सकते है :

(1) धार्मिक समितियां ;

(2) सामाजिक एवं अन्य समितियां एवं संघटनों ;

(3) कल्पवासियों ;

(4) शासकीय स्थापनाओं ;

(5) विपणन क्षेत्रों ;

(6) शौचालयों, मूत्रालयों और कचरा के ढ़ेरों ;

(7) स्नान हेतु स्थानों ;

(8) मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद स्थलों ;

(9) कृषि, उद्योग और अन्य प्रदर्शिनी एवं सम्प्रदर्शनों।

17. **मेला क्षेत्र में भवनों/संरचनायें के निर्माण हेतु अनुमति –**

मेला क्षेत्र में किसी प्रकार के भवन या संरचना का निर्माण में हितबद्ध कोई व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मेला अधिकारी/सचिव के समक्ष मेला क्षेत्र में भवन/संरचना का निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिये नीचे परिशिष्टि–1 में दी गयी विहित प्ररूप में एक आवेदन दाखिल करेगा।

कोई व्यक्ति बोर्ड की ऐसा करने के लिये लिखित अनुमोदन/अनुमति के बगैर मेला क्षेत्र में किसी प्रकार की किसी स्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

18. **अनुमति की प्रक्रिया और स्वीकृति –**

(क) मेला क्षेत्र में किसी भवन या संरचना के निर्माण हेतु समस्त आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, प्राधिकरण एक अंतिम विनिश्चय लेने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवायी का एक अवसर प्रदान करेगी।

(ख) अनुमति स्वीकृत किये जाने हेतु प्रक्रिया मेला के सहज संचालन हेतु हितों को दृष्टिगत रखते हुये प्राधिकरण के द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(ग) प्राधिकरण उपांतरणों/परिवर्तनों/संशोधनों/पुनरीक्षणों के साथ निर्माण हेतु भी अनुमति स्वीकृत कर सकती है।

(घ) प्राधिकरण मेला क्षेत्र में भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु अनुमति के लिये किसी आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार रखेगी।

(ङ) प्राधिकरण को कोई निर्माण करने वाले व्यक्ति को स्वच्छता, जलापूति, पार्किंग हेतु प्रावधान करने या कोई अन्य प्रावधान जिसे प्राधिकरण उपयुक्त समझे, करने के लिये अनुमति स्वीकृत करते समय निदेश करने का अधिकार रखेगी।

19. **अनाधिकृत निर्माण –**

(क) मेला क्षेत्र में ऐसे अप्राधिकृत निर्माण कार्य के स्वामी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकरण एक नोटिस प्रेषित करेगी और यदि कोई व्यक्ति एक युक्तियुक्त अल्पावधि के भीतर ऐसे अप्राधिकृत निर्माण को नहीं हटाता है, तो प्राधिकरण मेला क्षेत्र में किसी संरचना/भवन का कोई अप्राधिकृत निर्माण हटाने, विनष्ट करने और विस्थापित करने की शक्तियां रखेगी।

(ख) ऐसे हटाये जाने की लागत किसी व्यक्ति से वसूल की जा सकेगी, जिसने ऐसा अप्राधिकृत निर्माण कार्य किया है।

(ग) जब कभी आवश्यक समझा जाय प्राधिकरण एक अंतिम विनिश्चय करने के पूर्व आवेदक को व्यक्तिगत सुनवायी का एक अवसर प्रदान करेगी।

20. **शौचालय, मूत्रालय या कचरा का ढेर के रूप में अप्राधिकृत स्थान –**

(क). मेला क्षेत्र में शौचालय, मूत्रालय या कचरे का ढेर के रूप में ऐसे अप्राधिकृत स्थान का प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति को प्राधिकरण एक नोटिस भेजेगी।

(ख) यदि कोई व्यक्ति एक युक्तियुक्त समयावधि के भीतर ऐसे अप्राधिकृत निर्माण को नही हटाता है, तो प्राधिकरण किसी शौचालय, मूत्रालय या कचरे का ढ़ेर के किसी अप्राधिकृत निर्माण को हटाने, नष्ट करने और विस्थापित करने के लिये शक्तियां रखेगी।

(ग) ऐसे हटाये जाने की लागत किसी व्यक्ति से वसूल की जा सकेगी जिसने ऐसा आप्राधिकृत शौचालय, मूत्रालय या कचरे का ढेर का निर्माण किया है ।

(घ) जहॉ कहीं आवश्यक समझा जाय प्राधिकरण एक अंत्रिम विनिश्चय लेने के पूर्व आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी।

21. **व्यवसाय,व्यापार वृत्ति का संचालन हेतु अनुज्ञति के लिये आवेदन :–**

मेला क्षेत्र में कोई व्यवसाय, व्यपार, वृत्ति का संचालन करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मेलाधिकारी/सचिव के समक्ष नीचे परिशिष्ट II में दी गई विहित प्ररूप में एक आवेदन दाखिल करेगा।

22. **अनुज्ञापन की प्रकिया और स्वीकृतिः–**

(क) सभी आवेदनों को अनुज्ञप्ति आवंटन के विचारणार्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।जहॉ कहीं आवश्यक समझा जाय, प्राधिकरण एक अंतिम विनिश्चय करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी।

(ख) एक अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रकिया प्राधिकरण के द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और अनुज्ञाप्ति मेला के सहज संचालन को मस्तिष्क में रखते हुए प्राधिकरण के द्वारा विनिश्चित की गई प्रकिया के अनुसार प्रदान की जायेगी।

(ग) प्राधिकरण अनुज्ञप्ति हेतु किसी आवेदन को अस्वीकृत करने के लिये एक तार्किक आदेश पारिता करेगी।

(घ) आवेदक अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के 7 (सात) दिनों के भीतर विहित शुल्क जमा कर देने के लिये अपेक्षित होगा। अनुज्ञप्ति केवल प्राधिकरण द्वारा यथा विहित की गई शुल्क जमा कर देने के पश्चात ही अंतरित होगा।

(ड.) अनुज्ञप्ति किसी व्यवसाय,व्यपार या वृत्ति के संचालन हेतु शर्तों एवं निर्वघनों को सम्मिलित करेगी जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर दी जायेगी।

(च) आवेदकगण दृटतापूर्वक अनुज्ञापन करार में यथा उल्लिखित शर्तो एवं निर्वघनों का पालन करने के लिए अपेक्षित होंगे।

23. **एक भण्डारा/आमजन हेतु पाकशाला सेवा आयोजित करने/की व्यवस्था करने हेतु अनुमतिः–**

मेला क्षेत्र में एक भण्डारा/आमजन पाकशाला सेवा आयोजित करने/की व्यवस्था करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति परिशिष्टि III में नीचे दी गयी विहित प्ररूप में एक आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मेलाधिकारी/सचिव के समक्ष दाखिल करेगा।

24. **एक भण्डारा/आभजन पाकशाला सेवा आयोजित करने/की व्यवस्था करने हेतु अनुमति की स्वीकृतिः–**

(क) प्राधिकरण सम्बन्धित आवेदक को अनुमति स्वीकृति करने के लिए विवेकाधिकारी सम्पन्न होगी।

(ख) आवेदक शुल्क एवं विहित प्ररूप में आवेदन के साथ भोज्य पदार्थों की सूची भी प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित होगा जो तदुपरि प्राधिकरण के द्वारा एक अधिसूचना के द्वारा विहित किया जायेगा।

(ग) स्वीकृत अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नही होगी।

(घ) अनुमति एक भण्डारा/आमजन की पाकशाला सेवा आयोजित करने हेतु शर्तें एवं निर्वधनों सम्मिलित होंगे जो प्राधिकरण के द्वारा अधिरोपित होगे।

(ड़) आवेदक अनुमति में यथा उल्लिखित शर्तों एवं निर्वधनों का दृढतापूर्वक पालन करने हेतु अपेक्षित होगा।

25. **मेला क्षेत्र में कोई कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अनुज्ञप्तिः–**

मेला क्षेत्र में किसी कार्यक्रम (चाहे घर के अन्दर या घर के बाहर) का सम्पादन आयोजित/संचालित करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति परिशिष्ट IV में नीचे दी गयी विहित प्ररूप में एक आवेदन मुख्य कार्यवाही अधिकारी/मेलाधिकारी/सचिव के समक्ष दाखिल करेगा।

26. **मेला क्षेत्र में कोई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुज्ञप्ति की स्वीकृतिः–**

(क) प्राधिकरण सम्बन्धित आवेदक को एक अनुज्ञाप्ति जारी करने हेतु विवेकाधीन होगा।

(ख) आवेदक विहित प्ररूप में आवेदन के साथ शुल्क जमा कर देने हेतु अपेक्षित होगा जो द्वारा तदुपरि एक अधिसूचना प्राधिकरण द्वारा विहित किया जायेगा।

(ग) स्वीकृत की गयी अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नही होगी।

(घ) अनुज्ञप्ति मेला क्षेत्र में किसी कार्यक्रम का आयोजन संचालन करने के लिए शर्तों एवं निर्वधनों को सम्मिलित करेगी।

(ड़) आवेदकगण अनुज्ञप्ति में यथा उल्लिखित शर्तों एवं निर्वधनों का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिये अपेक्षित होगें।

27. **मेला क्षेत्र या प्राधिकरण को दर्शित करती हुई प्रतीकों, नामों, चित्रों का उपयोग करने हेतु अनुमतिः–**

कोई व्यक्ति जो मेला क्षेत्र या प्राधिकरण को दर्शित करती हुई प्रतीक, नाम, चित्र का उपयोग करने की इच्छा रखता है, वह परिशिष्टि V में नीचे दी गयी विहित प्रारूप में एक आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मेला अधिकारी/सचिव के समक्ष दाखिल करेगा।

28. **मेला क्षेत्र या प्राधिकरण को दर्शित करती हुई प्रतीकों, नामों, चित्रों का उपयोग करने हेतु अनमति की स्वीकृतिः–**

(क) प्राधिकरण सम्बन्धित आवेदक को अनुमति स्वीकृत करने के लिये विवेकाधिकार सम्पन्न होगी।

(ख) आवेदक विहित प्ररूप में आवेदन के साथ शुल्क जमा कर देने हेतु अपेक्षित होगा जो तदुपरि एक अधिसूचना के द्वारा प्राधिकरण द्वारा विहित की जायेगी।

(ग) स्वीकृत की गयी अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नही होगी।

(घ) अनुमति शर्तों एवं निर्वधनों को सम्मिलित करेगी। आवेदकगण अनुमति में यथा उल्लिखित शर्तों एवं निर्वधनों का दृढ़तापूर्वक पालन करने हेतु अपेक्षित होंगे।

29. मेला क्षेत्र में होर्डिंग लगाने हेतु अनुमतिः–

कोई व्यक्ति जो मेला क्षेत्र या प्राधिकरण में एक होर्डिंग लगाने की इच्छा रखता है। परिशिष्ट–VI में नीचे दी गयी विहित प्ररूप में एक आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मेलाधिकारी/सचिव के समक्ष दाखिल करेगा।

30. **मेला क्षेत्र में होडिंगस लगाने हेतु अनुमति की स्वीकृतिः–**

(क) प्राधिकरण सम्बन्धित आवेदक को अनुमति स्वीकृति करने के लिए विवेकाधिकार सम्पन्न होगी।

(ख) आवेदक विहित प्ररूप में आवेदन के साथ शुल्क जमाकर देने हेतु अपेक्षित होगा। जो तदुपरि एक अधिसूचना के द्वारा प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएगी।

(ग) स्वीकृत की गयी अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नही होगी।

(घ) अनुमति शर्तों एवं निर्वधनों को सम्मिलित करेगी जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

(ङ) आवेदकगण अनुमति में यथा उल्लिखित शर्तों एवं निर्वधनों का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए अपेक्षित होंगे।

31. **मेला क्षेत्र में दुकानों का निरीक्षणः–**

(क) मेलाधिकारी/सचिव, किसी नोटिस के बगैर दिन या रात में किसी समय दुकान, स्टाल या स्थान जिसका उपयोग मानव उपयोग हेतु खाने–पीने पदार्थों के विक्रय हेतु किया गया है, में

प्रवेश कर सकता है और खाने पीने की वस्तुओं की परीक्षा व निरीक्षण कर सकता है। जो इसमें शर्तों के अधीन ऐसी वस्तुओं को विक्रय हेतु रखी गयी हैं।

(ख) यदि मेलाधिकारी/सचिव के अभिमत में एक निरीक्षण करते समय वह विश्वास करता है कि मानव उपभोग हेतु तात्पर्यित खाने–पीने की एक वस्तु इसके लिए अनुपयुक्त है या यदि वस्तुएं प्राधिकरण द्वारा विहित की गयी किन्ही शर्तों के उल्लघंन में विक्रय हेतु रखी गयी है तो वह उसी को जब्त कर सकता है और हटा सकता है और मेलाधिकारी/सचिव इसको विनष्ट कर सकता है या उसका बेचा जाना या उपभोग हेतु प्रयोग किया जाना कारित कर सकता है।

(ग) कोई व्यक्ति जब्त की गयी, विनष्ट की गयी या उपखण्ड–31 (ख) के अधीन अन्यथा निस्तारित किसी वस्तु के लिए किसी मुआवजे का हकदार नही होगा।

(घ) मेलाधिकारी/सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश करेगा और स्थलीय निरीक्षण करेगा कि स्थान का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से अन्यथा के लिए नही किया जा रहा है।

32. **अनुज्ञप्ति का प्रति संहरण**:–

प्राधिकरण अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं निर्बधनों के उल्लंघन के कारण या किसी व्यापार का व्यवसाय या वृत्तिअप्राधिकृत संचालन या अनुज्ञापिती के मेला क्षेत्र में हिंसा का एक कृत्य में संलिप्त होने की दशा में अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने का अधिकार रखेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई प्रतिसंहरण अनुज्ञापिती को सुनवायी कर एक अवसर प्रदान किये बगैर नही किया जाएगा।

33. **वाहनों की पार्किंग पर टोल**:–

प्राधिकरण को वाहनों की पार्किंग पर और मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी वाहन पर टोल लेने का अधिकार होगा। प्राधिकरण तदुपरि द्वारा एक अधिसूचना टोल की दरें विनिर्दिष्ट करेंगी।

34. **वैयक्तिव को प्रदत्त सेवाएं हेतु शुल्क**:–

प्राधिकरण को मेला क्षेत्र में व्यक्तियों को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रभार के रूप में शुल्क प्रभारित करने का अधिकार होगा।

प्राधिकरण तदुपरि एक अधिसूचना के द्वारा शुल्क/दर के साथ विशेष सेवाएं विनिर्दिष्ट करेंगी।

35. **विक्रय हेतु वस्तुएं लाने के लिए शुल्क**:–

प्राधिकरण को मेला क्षेत्र में विक्रय हेतु वस्तुएं लाने के लिए शुल्क प्रभारित करने का अधिकार होगा। प्राधिकरण तदुपरि एक अधिसूचना द्वारा ऐसी शुल्क की दरें विनिर्दिष्ट करेगी।

36. **सम्प्रदर्शन/विज्ञापन हेतु शुल्क**:–

प्राधिकरण मेला क्षेत्र में किसी सम्प्रदर्शन/विज्ञापन/प्रोन्नयन/विपणन के लिए प्रभार लेने की शक्ति रखेगी। प्राधिकरण तदुपरि द्वारा एक अधिसूचना ऐसी शुल्क की दरें विनिर्दिष्ट करेगी।

36–अ **वाणिज्यिक आधार पर मेला क्षेत्र में नौका वहन हेतु शुल्क**:–

मेला क्षेत्र में नौका या नौकाएं चलाने हेतु आशायित कोई व्यक्ति मेला अधिकारी/सी0ई0ओ0 से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करेगा, और प्राधिकरण द्वारा यथापेक्षित ऐसी शुल्क का भुगतान करेगा, जो इस बारे में द्वारा एक अधिसूचना विनिर्दिष्ट किया जाय।

प्राधिकरण अग्रतर तदुपरि एक अधिसूचना द्वारा एक नाव पर अनुज्ञात यात्रीगण की अधिकतम संख्या, ऐसी नाव पर यात्रा करने वाले एक यात्री से अधिकतम किराया/प्रभार्य किराया या मार्ग का पृथक्करण जिसका अनुकरण एक नाव के द्वारा ऐसे यात्रीगण को ले जाते समय किया जाना है, को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

37. **किन्ही अन्य सेवाएं हेतु शुल्क जैसी प्राधिकरण उचित समझती है**:–

प्राधिकरण को किन्ही अन्य सेवाओं हेतु शुल्क/पथकर प्रभावित करने की शक्ति होगी जैसी प्राधिकरण उचित समझती है।

प्राधिकरण तदुपरि द्वारा एक अधिसूचना शुल्क/पथ करके साथ मदे/सेवाएं की एक सूची प्रकाशित करेगी।

38. **अग्नि एवं अग्नि कांड**:–

प्राधिकरण अग्नि का उपयोग निर्बधित करने या गतिविधियां जो खाना पकाने के प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त अग्नि से अन्यथा अग्नि कारित करती है, के लिये सभी उपाय करेगी।

एक अग्नि कांड के मामले में, मेलाधिकारी/सचिव किसी संरचना के विध्वंस/ बंद किये जाने का आदेश कर सकते है यदि उनके निर्णय में विध्वंस/बंद किया जाना आग को फैलने से रोकने के लिये आवश्यक या समीचीन है, और इस खण्ड के अधीन शुद्ध विश्वास में कृत एक कृत्य या की जाने वाली प्रयोजन या किये जाने हेतु तात्पर्यित किसी कार्य के लिये कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नही होगी।

39. **दुग्ध उतपादक पशुओं का पोषण**:–

प्राधिकरण खण्ड 54 के अनुसार दण्ड/शास्ति अधिरोपित कर जा सकती है जो दुग्ध उत्पादन के प्रयोजनार्थ रखे गये किसी पशु को किसी गंदे या हानिकारक पदार्थ खिलाते है या ऐसे दुधारू पशुओं को ऐसे पदार्थों को खिलाया जाना अनुज्ञात करता है।

अध्याय–5

शुल्क/किराये का भुगतान और किराये की वसूली

40. **शुल्क भुगतान हेतु प्रक्रिया–**

(क) सभी व्यक्तिगण समय समय पर प्राधिकरण के द्वारा यथा उद्ग्रहीत शुल्क/किराये का भुगतान करने के लिए अपेक्षित है।

(ख) व्यक्तिगण प्राधिकरण के द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शुल्कों का ––––––के पक्ष में इलाहाबाद में संदेय एक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्राधिकरण के लेखा विभाग के साथ भुगतान कर देंगे।

41–**किराये की वसूली–**

(क) यदि कोई व्यक्ति किराया/लागत या इसके अन्य भाग का भुगतान मेलाधिकारी/सचिव द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर करने से असफल रहता है तो मेलाधिकारी/सचिव कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति से देय धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र अग्रसारित कर सकता है और कलेक्टर ऐसे एक व्यक्ति को कोई आपत्ति दाखिल करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा और ऐसी आपत्ति जैसी की गयी है, पर सुनवायी और निर्धारण करने के पश्चात् प्रमाणपत्र में दर्ज धनराशि, यदि कोई है, जिसे वे देय पा सकते है, की वसूली भू–राजस्व के एक बकाये के रूप में किये जाने की कार्यवाही कर सकते है। यदि कलेक्टर पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई धनराशि देय नहीं है, तो वह अपने निष्कर्षों के साथ मेलाधिकारी/सचिव को प्रमाणपत्र वापस कर देंगे।

(ख) मेलाधिकारी/सचिव किसी अनुज्ञापिती के बहिष्करण का आदेश कर सकते हैं जो अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है।

अध्याय–6

बीमारी एवं महामारियां

42. संक्रामक रोग–

(क) मेलाधिकारी/सचिव प्लेग, स्माल पाक्स या किसी अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को मेला क्षेत्र में प्रवेश करना अनुज्ञापिती नहीं करेंगे।

(ख) मेलाधिकारी/सचिव मेला क्षेत्र में एक संक्रामक रोग से पीड़ित पाये गये किसी व्यक्ति को या तो एक निश्चित अवधि के भीतर मेला क्षेत्र छोड़ देने या संक्रामक रोग अस्पताल में भर्ती होने का आदेश करेंगे।

(ग) यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, तो मेलाधिकारी/सचिव ऐसे बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे और भर्ती कराएंगे।

(घ) मेलाधिकारी/सचिव किसी कपड़े, भवन या अन्य वस्तुएं जो बीमर व्यक्ति के द्वारा या अन्यथा संक्रमित हो सकती है, को जीवाणुमुक्त किया जाना प्राधिकृत कर सकते हैं।

(ड.) इस खण्ड के अधीन पारित किसी अन्य आदेश से पारित हुयी किसी क्षति के लिये कोई मुआवजा संदेय नहीं होगा।

43. महामारी–

(क) जब एक महामारी के रूप में मेला क्षेत्र में एक संक्रामक रोग फैल जाता है, तो मेलाधिकारी/सचिव ऐसे कदम उठाएंगे जो बीमारी को अलग–थलग कने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(ख) ऐसी बीमारी से ग्रसित या संदिग्ध सभी व्यक्तिगण को उन्हें तत्काल संक्रामक रोग अस्पताल में सीमित करना होगा और वह संक्रमण से संदिग्ध व्यक्ति के लिये कोरंटीन का आदेश कर सकता है।

(ग) वह पड़ोस के जिलों के लिए चेतावनी भेजेगा और व्यक्तियों को जब तक महामारी समाप्त नहीं हो जाती है, मेला क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है।

(घ) किसी व्यक्ति को व्यवसाय की किसी क्षति या इस खण्ड के अधीन शुद्ध विश्वास में किये गये आदेश द्वारा किसी अन्य क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में कोई मुआवजा संदेय नहीं होगा।

44. रेबीज से ग्रसित कुत्ता और पशु–

मेलाधिकारी/सचिव रेबीज से ग्रसित कुत्तों को ऐसी अवधि के लिये जैसी वह निर्देश कर सकते हैं, किसी ग्रसित कुत्ता या यथा पूर्वोक्त संदिग्ध किसी कुत्ता को सीमित कर देगा।

मेलाधिकारी/सचिव ग्रसित या संक्रामक रोग से ग्रसित अन्य पशुओं के बारे में भी उसी समान शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अध्याय–7

निधियां एवं पथकर

45. निधियां:–

(क) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 17 के अनुसरण में निधियां व्युत्पन्न करेगी।

(ख) प्राधिकरण खण्ड 48 में नीचे उल्लिखित राजस्व श्रोतों और अन्य श्रोतों जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जा सकेगी, से अपनी निधियां प्राप्त करेगी।

(ग) बजट संबंधित सभी प्रक्रिया का सम्पादन प्राधिकरण के द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित की गयी मानकों के अनुसार सम्पादित की जायेंगी।

46. वार्षिक बजट की तैयारी–

प्राधिकरण के अनुदेशों के अनुसरण में प्राधिकरण विभिन्न शीर्षों के अधीन अपेक्षायें हेतु एक वार्षिक बजट तैयार करेगी। यह बजट आवश्यक अनुमोदनार्थ प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।

47. बजट की पुनर्समीक्षा और पुनरीक्षण–

प्राधिकरण त्रयमासिक आधार पर उपयोगिता प्रस्थिति का अनुश्रवण करेगी। प्रत्याशित व्यय परिस्थिति के आधार पर प्राधिकरण राज्य सरकार को अतिरिक्त निधियां हेतु निवेदन कर सकती है।

48. राजस्व श्रोत:–

प्राधिकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित श्रोतों से भी राजस्व संग्रह करेगी और समय समय पर और अधिक श्रोतों को भी विहित करेगी।

ऐसे पथकर/शुल्क निम्नलिखित को शामिल कर सकते है।

(क) मेला क्षेत्र में यात्रियों के लिये विशेष सेवाएं हेतु शुल्क।

(ख) मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर पथकर/प्राधिकरण द्वारा उदग्रहीत पथकर प्राप्त करने के लिये प्राधिकरण को नाम निर्दिष्ट स्थानों पर पथकर बिन्दुओं को स्थापित करने की शक्ति होगी।

(ग) मेला क्षेत्र में दुकाने/स्थापनाये स्थापित करने के लिये अनुज्ञापन शुल्क।

(घ) मेला क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के सम्पादन हेतु शुल्क।

(ड़) विक्रय या सम्प्रदर्शन हेतु मेला क्षेत्र में लाई जा रही वस्तुओं पर पथकर।

(च) मेला क्षेत्र में लगाई जाने वाली विज्ञापन हेतु कर।

(छ) मेला क्षेत्र में भू–उपयोग हेतु शुल्क।

(ज) विद्युत एवं पेय जलापूर्ति सेवायें हेतु व्यवस्थायें करने हेतु शुल्क।

(झ) मेला क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग पर कर।

(ञ) मेला क्षेत्र में कोई प्रदर्शन या सम्पादन करने का शुल्क।

(ट) मेला क्षेत्र में की जाने वाली अस्थाई निर्माण अनुज्ञात करने के लिये शुल्क।

(ठ) नौका वहन हेतु शुल्क।

(ड) मेला क्षेत्र में कृषिकार्य सम्बन्धी गतिविधियों हेतु अनुमति के लिये शुल्क।

(ढ़) मेला क्षेत्र में किसी धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियां या कार्यक्रम की अनुमति देने के लिये शुल्क।

(ण) मेला क्षेत्र में चलाई जा रही किन्ही टेन्टों, अतिथिगृहों या किसी अन्य परिसर पर शुल्क।

(त) स्वैच्छिक दान/सी0एस0आर0 ऐसी अन्य शुल्के और कर जो समय–समय पर अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय।

49. **निधियों का प्रवाह और वितरण**:–

सी0ई0ओ0/मेला अधिकारी/सचिव प्राधिकरण के निदेशानुसार निधियों के दैनिक प्रबन्धन एवं वितरण हेतु जिम्मेदार होगे।

50. **बैंक खाते**:–

(क) प्राधिकरण के नाम में एक बैंक खाता केवल राष्ट्रीकृत बैंक या किसी अन्य बैंक जैसा प्राधिकरण के द्वारा विनिश्चित किया जाय, के साथ खोला जायेगा।

(ख) प्राधिकरण के द्वारा दो व्यक्तिगण अर्थात सी0ई0ओ0 एवं अपर सी0ई0ओ0 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नियुक्त किये जायेगें।

(ग) सभी भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मेलाधिकारी/सचिव एवं अपर सी0ई0ओ0 द्वारा हस्ताक्षरित चेक के द्वारा किये जायेंगें।

(घ) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को या के पूर्व कुम्भ मेला प्राधिकरण की वेवसाइट पर सर्वनिष्ठ क्षेत्रों एवं उसमें समाविष्ट सुविधायें के सम्बन्ध में एक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रकाशित करेगी।

1. लाभ एवं हानि लेखे;
2. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की व्यय एवं प्राप्तियां; और
3. सर्वनिष्ठ क्षेत्रों की सम्पत्ति, परसिम्पत्तियां एवं दायित्वों तथा ऐसी विशिष्टियां देती हुयी प्राधिकरण की सुविधायें जो इन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों की सामान्य प्रकृति को प्रकट करेंगी, का एक सार संक्षेप और कैसे निश्चित परिसम्पत्तियों के मूल्य पर पहूॅचा गया है।

51. **सर्वनिष्ठ मुद्रा**:–

प्राधिकरण एक सर्वनिष्ठ मुद्रा रखेगी जिसे मेलाधिकारी/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और जहां कही भी अपेक्षित हो प्राधिकरण की प्राधिकृति के अनुसरण में लगायी जायेगी।

52. **लेखे एवं रिपार्ट का प्रकाशन**:–

पिछला वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपार्ट, यदि कोई, एक प्रति प्राधिकरण के कार्यालय में एक सर्वसुलभ स्थान पर रखी जायेगी और एक शुल्क के भुगतान पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी।

53. **लेखा परीक्षक की शक्ति**:–

लेखा परीक्षक परिसम्पत्तियों और व्ययों के साथ व्युत्पन्न टोल्स एवं प्राप्त निधियां से सम्बन्धित प्राधिकरण के किसी प्रपत्र या दस्तावेजों की मांग करने और परीक्षण करने का हकदार होगा और लेखे से सम्बन्धित किसी मामले पर जो उसे संज्ञान लिये जाने हेतु अपेक्षित प्रतीत हो, प्राधिकरण को एक विशेष रिपोर्ट करेगा।

अध्याय–8

शास्ति

54. **शास्ति**:–

(क) अधिनियम और उप नियमों के अनुसार अपेक्षित अनुमति के बगैर कोई निर्माण कार्य करता है, या

(ख) शौचालय, मूत्रालय या कचरे का ढ़ेर के रूप में किसी अप्राधिकृत स्थान का उपयोग करता है, या

(ग) खण्ड 21 के प्रावधानों के अधीन प्राप्त की गयी एक अनुज्ञाप्ति के बगैर कोई वृत्ति, व्यवसाय या वार्ता का संचालन करता है या ऐसी अनुज्ञापिती की शर्तों का एक भंग कारित करता है, या

(घ) अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या

(ड़) इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण लिखित में किसी आदेश या निदेश की अवज्ञा करता है, वह दोपसिद्धि पर एक अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रू0 1000/– (रू0 एक हजार) तक विस्तारित हो सकेगी और जहां अपराध जारी है या पुनावृत्ति हो रही है, तो उस दशा में अग्रतर रू0 100/– (रू0 एक सौ) प्रथम दोपसिद्धिकी तिथि जिसके दौरान अपराधी का ऐसा अपराध करना जारी रहा, से प्रत्येक दिन के लिये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

अध्याय–9

प्रकीर्ण

55. **शुल्क/अनुज्ञापित/टोल इत्यादि में अभिवृद्धिः–**

प्राधिकरण समय–समय पर अनुज्ञापन शुल्क, टोल इत्यादि में अभिवृद्धि कर सकती है जैसा बोर्ड के द्वारा इसकी बैठकों में विनिश्चित किया जाय।

56. **करारों का उपांतरणः–**

प्राधिकरण समय–समय पर प्ररूपों, करारों या निष्पादित की जाने वाली या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किन्ही अन्य दस्तावेजों का परिवर्तन, संशोधन और उपांतरण करेगी।

57. **पर्यावरण संतुलन हेतु बाधाओं का परिवर्जनः–**

प्राधिकरण समय–समय पर कार्य व्यापार का अवलोकन करेगी और बाधाये, प्रदूषण से बचने के लिये और मेला क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये कार्यवाई करेगी।

58. **जनाक्रोश रोकने की शक्तिः–**

प्राधिकरण मेला क्षेत्र में किसी सम्पादन या गतिविधि को रोक देने या निर्बधित करने के लिये अधिकार सम्पन्न है जो, इसके अभिगत में जनाक्रोश में परिणामित हो सकती है या मेला क्षेत्र में शांति एव ंसामजस्य को एक खतरा उत्पन्न कर सकती है।

59. **इस अधिनियम/उपनियमों के अधीन जारी की गयी किसी अनुज्ञापित को निलम्बित/रद्द करने की शक्तिः–**

प्राधिकरण को अधिनियम या उपनियमों के उल्लघन हेतु या किन्ही युक्तियुक्त निर्देशों जो प्राधिकरण समय–समय पर आमजन को किसी बाधा, असुविधा, आक्रोश, जोखिम या खतरा का निवारण करने के लिये प्राधिकरण जारी की सकती है, का उल्लघन करने के लिये इस अधिनियम या उपनियम के अधीन स्वीकृत किसी अनुज्ञापित या अनुमति को निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबंघ यह है कि प्राधिकरण अनुज्ञापित/अनुमति धारक को उसके विरूद्ध कोई कार्यवाई करने के पूर्व सुनवायी का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी।

60. **उप–नियमों का संशोधनः–**

राज्य सरकार के द्वाराः–

(क) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई उप–नियम या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से उपांतरित या विवंधित किया जाना चाहिये, तो यह अपने कारणों को प्राधिकरण

को संचारित करेगी और युक्ति युक्त अवधि विहित करेगी, जिसके भीतर प्राधिकरण उसके बारे में कोई प्रत्यावेदन, जो यह उचित समझती है, कर सकती है।

(ख) ऐसे किसी प्रत्यावेदन के प्राप्त होने और विचारोपरांत या, यदि इसी बीच कोई ऐसा प्रत्यावेदन 15(पन्द्रह) दिनों के अवसान पर प्राप्त नहीं हुआ है, तो राज्य सरकार किसी समय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे उप–नियमों को उपांतरित या निरसित कर सकती है।

<u>प्राधिकरण के द्वाराः–</u>

उपनियमों में संशोधन केवल प्राधिकरण की बैठक में एक संकल्प के द्वारा पारित किया जायेगा। जिसमें वहां उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून एक मत के साथ गणपूर्ति उपस्थित हैं और ऐसे संशोधन के विचाराणार्थ कम से कम 7 (सात) दिनों की नोटिस पूर्व में दी जा चुकी है।

परिशिष्टि–1

भवन या संरचना का निर्माण हेतु अनुमति
(कृपया केवल बड़े अक्षरों में नीली/काली स्याही से भरें)

सेवा में,

प्रयागराज मेला प्राधिकरण
इलाहाबाद, उ0प्र0

1 आवेदक का नाम व पता
2 प्रस्तावित भवन/संरचना का पता (कृपया पित कोड के साथ ठीक पता दे)
3 भवन/संरचना का प्रयोजन
निम्नलिखित के विवरणः

(क) भूखण्ड का आकार
(ख) फर्श क्षेत्रफल अनुपात
(ग) जमीनी क्षेत्रफल
(घ) मुजरा
(ड) शट्फ्ट्स (लाइट एवं वायलेट हेतु)
(च) प्रक्षेपण
(छ) ऊंचाई
(ज) चहारदीवारियाँ
(झ) भूकंप, हवा, बाढ़ के लिये संरचना की शक्ति

(अ) आवश्यक सुरक्षा उपायों–अग्नि एवं धुआं

(ट) हरित भवन उपायों

(ठ) अवसंरचना, विनिर्दिष्टियां (जल, सीवर, नाली और टेलीफोन, गैस, वाटर हार्वेस्टिंग और कोई अन्य)

4. घोषणाः

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और इसका कोई भाग असत्य नहीं है।

दिनांकः

(हस्ताक्षर के पश्चात् स्पष्टतः नाम लिखें)

****

केवल प्राधिकरण के उपयोग हेतु अनुमति प्रदत्त/प्रदत्त नहीं
प्राधिकरण के द्वारा इप्सित (सम्पेक्षणों/उपांतरणों/परिवर्तनों/संशोधनों/पुनरीक्षणों, यदि कोई हो)

प्राधिकरण का हस्ताक्षर एवं मुॅहर

परिशिष्टि–2

अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

(कृपया केवल बड़े अक्षरों में नीली/काली स्याही से भरें)

सेवा में,

प्रयागराज मेला प्राधिकरण
इलाहाबाद, उ0प्र0

1. आवेदक का नाम व पता:
2. व्यापार का स्थान
   (कृपया पिन कोड के साथ ठीक पता दें)
3. व्यापार/व्यवसाय/वृत्ति का प्रकार जिसे
   संचालित करने की आवश्यकता है:
4. क्या आवेदक एक स्वामित्वपूर्ण /भागीदारी/
   मर्यादित कम्पनी/हिन्दू अविभक्त परिवार/प्रतिष्ठान
   या कुछ अन्य है।(यदि अन्य है तो कृपया उल्लेख करें):
5. स्वामी/भागीदार/प्रबन्धक/कर्ता या कोई अन्य
   (यदि अन्य है तो उल्लेख करें) के नाम व पता
6. किस क्षमता में यह आवेदन किया गया है
   (सम्यक उत्तर पर सही का निशान लगायें):
   (क) स्वामी
   (ख) भागीदार
   (ग) प्रबन्धक
   (घ) कर्ता
   (ड) कोई अन्य (कृपया उल्लेख करें)
7. मैं/हमने रू0 /– अनुज्ञापन शुल्क चालान सं0 दिनांक
   को बैंक में जमा कर दिया है।
8. मैं /हम समय समय पर प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं निर्बधनों का पालन करने के लिये सहमत हूॅ।
9. घोषणा– मैं/हम घोषणा करता हूॅ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है और उसका कोई भाग असत्य नहीं है।

दिनांकः–––––––––

(हस्ताक्षर के पश्चात् स्पष्ट नाम लिखें)

केवल प्राधिकरण के उपयोग हेतु

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/स्वीकृत नहीं

प्राधिकरण के द्वारा इत्सित सम्प्रेक्षणों/उपांतरणों/परिवर्तनों/संशोधनों/पुनरीक्षणों, यदि कोई है।

_____

_____

प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट– 3

एक भण्डारा/आमजन की पाठशाला सेवामें आयोजित करने हेतु अनुमति
(कृपया केवल बड़े अक्षरों में नीली/काली स्याही से भरें)

सेवा में,

प्रयागराज मेला प्राधिकरण
इलाहाबाद, उ0प्र0

1. आवेदक का नाम व पता–
2. क्षेत्रफल (वर्गफीट में)के साथ एक भण्डारा आयोजित करने हेत सुझाव दिया गया स्थान–
3. दिनों की संख्या जिसके लिए भण्डारा आयोजित करने हेतु सुझाव दिया गया स्थान–
4. आवेदक के द्वारा भोजन के साथ प्रदत्त सुविधायें:–
5. प्रत्येक दिन के लिये सांकेतिक भेज्य पदार्थो की सूची (क्या नत्थी की गयी है/नहीं नत्थी की गयी है):–
6. भेजन कराने की क्षमता–
7. एक दिन में कितनी बार भण्डारा होगा–
8. प्राधिकरण से अपेक्षित सुविधायें:–
9. मैं/हम रू0 /– की अनुज्ञापन शुल्क चालान सं0 दिनांक को बैंक में जमा कर दिया है।–
10. मैं /हम समय समय पर प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं निर्बधनों का पालन करने के लिये सहमत हूँ–

घोषणा— मैं/हम घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है और उसका कोई भाग झूठा नहीं है।

दिनांकः—————————

(हस्ताक्षर के बाद स्पष्ट नाम लिखें)

——————

केवल प्राधिकरण के उपयोग हेतु

<u>अनुमति प्रदत्त/प्रदत्त नहीं :—</u>

प्राधिकरण के द्वारा इप्सित सम्प्रेक्षणों/उपांतरणों/परिवर्तनों/संशोधनों/पुनरीक्षणों, यदि कोई है।

——
————————————————————————

प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

<u>परिशिष्ट— 4</u>

मेला क्षेत्र में किसी कार्यक्रम सम्पादन या आयोजन हेतु अनुमति

(कृपया केवल बड़े अक्षरों में नीली/काली स्याही से भरें)

सेवा में,

प्रयागराज मेला प्राधिकरण
इलाहाबाद, उ0प्र0

1.	**आवेदक का नाम व पता**	
2.	**सम्पादन का सुझाव दिया गया स्थान**	
3.	**सम्पादन का प्रकार**	
4.	**सम्पादन करने वाले व्यक्तिगण की संख्या**	
5.	**सम्पादन की अवधि**	
6.	**दिनों की संख्या जिन पर ऐसा सम्पादन दिया जाना है**	
7.	**प्राधिकरण से अपेक्षित सुविधायें**	
9.	**मैं/हम रू0 /— का शुल्क चालान सं0 दिनांक को बैंक में जमा कर दिया है।**	
10.	**मैं /हम समय समय पर प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं निर्बधनों का पालन करने के लिये सहमत हूँ।**	

घोषणा– मैं/हम घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचनायें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है और इसका कोई भाग असत्य नहीं है।

दिनांकः–––––––––

(हस्ताक्षर के बाद स्पष्ट नाम लिखें)

––––––

केवल प्राधिकरण के उपयोग हेतु

<u>अनुमति प्रदत्त/प्रदत्त नहीं :–</u>

प्राधिकरण के द्वारा इप्सित सम्प्रेक्षणों/उपांतरणों/परिवर्तनों/संशोधनों/पुनरीक्षणों, यदि कोई है।

––

––

प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट– 5

मेला क्षेत्र या प्राधिकरण को दर्शित करती हुयी प्रतीकों, नामों, चित्रों का उपयोग हेतु अनुमति

(कृपया केवल बड़े अक्षरों में नीली/काली स्याही से भरें)

सेवा में,

प्रयागराज मेला प्राधिकरण
इलाहाबाद, उ0प्र0

1.	**आवेदक का नाम व पता**	
2.	**व्यापार का स्थानः(पिनकोड के साथ ठीक पता दें)**	
3.	**क्या आवेदक एक स्वामित्वपूर्ण/भागीदारी/मर्यादित कम्पनी/हिन्दू अविभक्त परिवार/प्रतिष्ठान या कोई अन्य है।(यदि अन्य है तो कृपया उल्लेख करें)**	
4.	**मेला क्षेत्र या प्राधिकरण को दर्शित करती हुयी प्रतीक, नाम, चित्रों का उपयोग या प्रयोजन**	
5.	**क्या चित्र, प्रतीक, नाम, जिसका उपयोग किया जाना है, को फार्म के साथ नत्थी किया गया है (हॉ/नहीं)**	
6.	**मैं/हम रू0 /– का शुल्क चालान सं0 दिनांक को बैंक में जमा कर दिया है।**	
7.	**मैं /हम समय समय पर प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुमति की शर्ते एवं निर्बधनों का पालन करने के लिये सहमत हूँ।**	

घोषणा– मैं/हम घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है और इसका कोई भाग असत्य नहीं है।

दिनांकः–––––––––

(हस्ताक्षर के बाद स्पष्ट नाम लिखें)

_____

केवल प्राधिकरण के उपयोग हेतु

अनुमति प्रदत्त/प्रदत्त नहीं :–

प्राधिकरण के द्वारा इप्सित सम्प्रेक्षणों/उपांतरणों/परिवर्तनों/संशोधनों/पुनरीक्षणों, यदि कोई है।

_____

————————————————————————————————————

प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट– 6

मेला क्षेत्र होर्डिंग्स लगाने हेतु अनुमति

(केवल बड़े अक्षरों में नीली/काली स्याही से भरें)

सेवा में,

प्रयागराज मेला प्राधिकरण
इलाहाबाद, उ0प्र0

1.	**आवेदक का नाम व पता**	
2.	**व्यापार का स्थानः(पिनकोड के साथ ठीक पता दें)**	
3.	**होर्डिंग का उद्देश्य**	
4.	**होर्डिंग पर लगाये जाने वाले चित्रः**	
5.	**होर्डिंग की संख्या इनके लगाने के स्थान का सुझाव के साथ**	
6.	**होर्डिंग की विशिष्टयांः**	
7.	**मैं/हम रू0 /– का शुल्क चालान सं0 दिनांक को बैंक में जमा कर दिया है।**	
8.	**मैं /हम समय समय पर प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुमति की शर्ते एवं निर्बधनों का पालन करने के लिये सहमत हूँ।**	

घोषणा– मैं/हम घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है और इसका कोई भाग असत्य नहीं है।

दिनांकः—————————

(हस्ताक्षर के बाद स्पष्ट नाम लिखें)

——————

केवल प्राधिकरण के उपयोग हेतु

अनुमति प्रदत्त/प्रदत्त नहीं :–

प्राधिकरण के द्वारा इप्सित सम्प्रेक्षणों/उपांतरणों/परिवर्तनों/संशोधनों/पुनरीक्षणों, यदि कोई हैः

————————————————————————————————————

प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर